रजिस्टर्ड / सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-618 / 2018 / 919 / 22-2-2018-17(270) / 2009
लखनऊ:दिनांक: 31 अगस्त, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगवन्नू (बन्दी संख्या-34552) पुत्र श्री बहादुर, निवासी-ग्राम-चकोरा विक्रमपुर, थाना-निगोही, जनपद-शाहजहांपुर**, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-**171 / 1981** भा0द0वि0 की धारा-**148, 302, 364 / 149** के अधीन दिनांक **06.11.1981** को **मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5, शाहजहांपुर** द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, **शाहजहांपुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-618 / 2018 / 919(1) / 22-2-2018 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।

3-पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।